

झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

संकल्प

विषय:- विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-518/वि0पें0 दिनांक-09.12.2004 द्वारा राज्य कर्मियों के लिए लागू नई अंशदायी पेंशन योजना के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1186 दिनांक-10.06.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत वैसे पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जो दिनांक-01.12.2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं उसके लिए अनिवार्य रूप से झारखण्ड सरकार अंशदायी पेंशन योजना-2004 अक्षरशः लागू है। वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-143 दिनांक-05.09.2022 के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-1186 दिनांक-10.06.2019 के द्वारा विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत वैसे पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जो दिनांक-01.12.2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के रूप में सेवा प्रदान करते हैं उसके लिए अनिवार्य रूप से झारखण्ड सरकार अंशदायी पेंशन योजना-2004 अक्षरशः लागू है, जो कि कार्यान्वित नहीं हो पाया।

3. उक्त संदर्भ में स्पष्ट करना है कि W.P.(S) No. 6661 of 2019 Kanjiv Lochan Vrs. State of Jharkhand & Ors., W.P.(S) No. 4808 of 2019 Dr. Santosh Kumar Singh & Ors. Vs. The State of Jharkhand & Ors., W.P.(S) No. 4097 of 2019 Dr. Bhriugu Nandan Singh & Ors. Vs. The State of Jharkhand, W.P.(S) No. 6740 of 2019 Vineeta Rani Ekka & Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors. तथा W.P.(S) No. 6768 of 2019 Ajoy Sinha & Ors. Vs. State of Jharkhand & Ors. मामले में पारित न्यायादेशों एवं विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के किसी भी पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का PRAN आवंटित नहीं किया गया है तथा उनको भुगतान की गई वेतन से नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है।

4. उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय कर्मियों की सेवा शर्त एवं वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम/परिनियम/संकल्प में अंकित प्रावधानों अनुसार किया जाता है। पेंशन से संबंधित Jharkhand State Universities Act, 2000 की धारा 71 के अन्तर्गत विभाग द्वारा अधिसूचित Statutes (Approved by the Chancellor vide letter no. BSU/52/80-5285 G.S. (I) dated 18.11.1980 as amended by letter no. BSU/52/80/2158 GS(I) dated 25.11.1982) की कंडिका 1. (a) के आलोक में दिनांक-01.12.2004 के पूर्व नियुक्त विश्वविद्यालय कर्मियों को पेंशन/उपादान के भुगतान की कार्यवाई की जाती रही है।

P. Lav

उक्त Statute के Section 8(b) में अंकित प्रावधान “General Provident Fund, in the name of individual employee, in which shall be credited the subscription made by the employee concerned, and the interest earned thereon, to be operated jointly by the employee concerned and the Registrar.” [* or Principal or such other officer as may be authorised by the Vice Chancellor”] के अनुसार विश्वविद्यालय कर्मियों के मूल वेतन का 10 प्रतिशत भविष्य निधि के रूप में कटौती कर भविष्य निधि खातों में जमा कर दिया जाता है। यह खाता Employee एवं Employer (Registrar/ Principal) का संयुक्त खाता होता है। इस खाते का संधारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/संकल्प के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु संकल्प निर्गत कर उपादान का लाभ प्रदान किया जाता है। दिनांक-01.12.2004 या दिनांक 01.12.2004 के उपरांत नियुक्त विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु भी पेंशन/उपादान के भुगतान की प्रक्रिया Statute के Section 8(b) के प्रावधानों के अनुसार होगी।

5. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए लागू नई अंशदायी पेंशन योजना से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-1186 दिनांक-10.06.2019 को निरस्त किया जाता है।

6. तदालोक में Statutes for the Grant for Retirement benefits to Employees of the Bihar / Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University में अपेक्षित संशोधन के साथ Statutes for the Grant of Retirement benefits to Employees of the Bihar / Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila / K.S.D. Sanskrit University (Amendment), 2024 का गठन किया गया है जो अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

7. प्रस्ताव पर दिनांक-07.08.2024 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-40 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प को अनुलग्न सहित झारखण्ड राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/वि01-39/2013

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय (सरकारी प्रेस), झारखण्ड, डोरण्डा, राँची/ई-गजट, नोडल पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

OV

Relax

ज्ञापांक-5/वि01-39/2013

राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-5/वि01-39/2013 1439

राँची, दिनांक- 02/09/2024

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आर्पत सचिव/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सचिव, वित्त विभाग/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आर्पत सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आर्पत सचिव/नोडल पदाधिकारी ई-ऑफिस परियोजना, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राँची/कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा/सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद/डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची/झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, राँची/जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.9.24

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव।

R.kan

**STATUTES FOR THE GRANT OF RETIREMENT BENEFITS TO
EMPLOYEES OF THE BIHAR / RANCHI / BHAGALPUR/ MAGADH/ L.N.
MITHILA/ K.S.D. SANSKRIT UNIVERSITY (AMENDMENT), 2024**

Whereas old Pension Scheme has been implemented by the Government of Jharkhand for the employees of Government of Jharkhand who joined service on or after 1st December, 2004 vide Resolution No. 143 dated 05.09.2022 of Department of Finance, Government of Jharkhand. Therefore, a new section 16AAA will be inserted after section 16, Section 16A and Section 16AA of the Statutes No. 2 namely Statutes for the Grant of Retirement Benefits to Employees of the Bihar/Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University.

The name Bihar / Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University is substituted by the Universities established under Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as amended).

2. Insertion of Section 16 AAA after Section 16, 16 A and Section 16 AA of the Statute No. 2 namely Statutes for the Grant of Retirement Benefits to Employees of the Bihar / Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University

The existing provisions of Section 16: –

An employee eligible for pension under any of the categories mentioned above, shall be granted pension according to the scales given in schedule 'A' (i) if he ceased to be in University service between 1-4-72 and 31-12-72 and schedule A(ii) if he ceased to be in University service between 1-1-73 and 30-03-79. For those who ceased to be in University Service from 31-03-79 onwards, the scales given in Schedule A (iii) will be applicable. Any further change in the rate of pension as also relief in pension under the Bihar (Govt.) Pension Rules, will be equally applicable to the University employees.

The Existing Provisions of Section 16A- Wound and other extraordinary Pensions:-

Employees of the University who sustain any injury or die as a result thereof or are killed as a result of special risk of office, will be entitled to injury gratuity and pension or family pension, as the case may be, under the same rules and conditions as are applicable to the employees of the Govt. of Bihar. The rates of injury gratuity and pension and family pension payable under this Rule are given in Schedule-B and E respectively.

1439
02/09/24

The Existing Provisions of Section 16 AA: -

“Jharkhand Sarkar, Sarkari Karmchari Anshdayee Pension Yojana-2004” as notified vide Deptt. of Finance Govt. of Jharkhand letter No. वि०पे०-5-47/03-518/वि.5 Dated 9th December, 2004 be adopted mutatis mutandis for all University employees, who joined the Services of the Universities established under the Jharkhand State Universities Act, 2000 (Adapted and as amended) on or after 1st December, 2004 on regular basis. All future amendments/modifications to the said Pension Yojana shall automatically come in to force in letter and spirit from said date as mentioned in “Jharkhand Sarkar, Sarkari Karamchari Anshdayee Pension Yojana-2004.”

Be inserted by the following provisions:-

Section 16AAA - Old Pension Scheme applicable for employees of University who joined University Service before 01.12.2004 shall be applicable for employees who have joined/will join University Service on or after 01.12.2004. Henceforth, section 16AA (inserted by Amendment Resolution No. 1186 dated 10.06.2019) after section 16 and Section 16A of the Statutes No. 2 namely Statutes for the Grant of Retirement Benefits to Employees of the Bihar/Ranchi / Bhagalpur/ Magadh/L.N. Mithila/K.S.D. Sanskrit University is hereby deleted.


2.9.24
(Rahul Kumar Purwar)
Principal Secretary
Department of Higher and Technical Education
Govt. of Jharkhand

